राजस्थान सरकार
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग

विज्ञापन सं : 1/2014 दिनांक : 30.09.2014

कनिष्ठ अभियंता – सिविल/यांत्रिक/विद्युत (डिग्रीधारी/डिप्लोमाधारी) सीधी भर्ती–2014

1. राजस्थान अधीनस्थ अभियांत्रिकी (जन स्वास्थ्य शाखा) सेवा नियम, 1967 एवं संशोधन 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत कनिष्ठ अभियंता – सिविल/यांत्रिक/विद्युत (डिग्रीधारी /डिप्लोमाधारी) के पदों पर सीधी भर्ती–2014 के लिये, निर्धारित ऑनलाइन आवेदन पत्र (Online Application Form) **दिनांक 27.10.2014 से 26.11.2014 को सायं 6.00** बजे तक आमंत्रित किये जाते है।

विशेष नोट :–

I. Online Application Form में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। आवेदन पत्र में गलत सूचना भरने पर या अपूर्ण आवेदन होने पर सुधार हेतु कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जावेगा।

II. विज्ञापित पदों में कमी या बढ़ोतरी का अधिकार राजस्थान अधीनस्थ अभियांत्रिकी (जन स्वास्थ्य शाखा) सेवा नियम 1967 के नियम–16 के अनुसार विभाग के पास निहित रहेगा।

III. **भर्ती**, आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रकिया राज्य सरकार के निर्देशों एवं नवीनतम नियमों के अध्याधीन होगी।

IV. **ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम दिनांक** :– आवेदक ऑन लाईन पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से एक दिन पूर्व अर्थात 26/11/2014 सायंकाल 6.00 बजे तक ही शुल्क जमा करवा सकेगें। उक्त अवधि के बाद शुल्क जमा कराने की सुविधा उपलब्ध नही होगी। ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम दिनांक 27/11/2014 रात्रि 12.00 बजे तक है। इसके उपरान्त ऑनलाईन लिंक निष्क्रिय हो जायेगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किये बिना ऑनलाईन आवेदन करें।

V. आवेदक पात्रता के आधार पर **केवल एक ही पद** के लिए आवेदन कर सकता है।

VI. उक्त भर्ती संबंधित सेवा नियमों में **किसी भी प्रकार के** होने वाले संभावित संशोधन के अध्याधीन होगी।

2. **आवेदन प्रकिया** :– आवेदन Online Application Form में लिये जायेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरने के लिये अनुदेश व प्रपत्र वेबसाइट www.jenexamphed.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। Online Application Form राज्य के निर्धारित ई–मित्र कियोस्क या नागरिक सेवा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से भरा जा सकता है, इस हेतु अभ्यर्थी द्वारा रूपये 30 की राशि सेवा प्रदाता (ई–मित्र कियोस्क/C.S.C.) को सेवा शुल्क के रूप में देनी होगी (रूपये 20 आवेदन पत्र भरने हेतु + रूपये 10 परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु **सेवा शुल्क**)। आवेदक यदि स्वयं अपने स्तर पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना चाहता है, तो

वह ई–मित्र कियोस्क या नागरिक सेवा केन्द्र पर केवल परीक्षा शुल्क जमा करा कर वेबसाइट www.jenexamphed.rajasthan.gov.in से स्वयं आवेदन भर सकता है। इस स्थिति में वहां परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु मात्र रूपये 10/– ही सेवा शुल्क देना होगा एवं आवेदक को परीक्षा शुल्क तथा रूपये 10/– जमा कराने पर एक टोकन संख्या उपलब्ध कराई जावेगी जिसका उपयोग कर वह स्वयं के स्तर पर आवेदन भरने की आगे की प्रकिया www.jenexamphed.rajasthan.gov.in पर पूर्ण करेगा।

हाथ से भरे गये आवेदन पत्र किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

परीक्षा शुल्क ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड, केडिट कार्ड तथा नेट बैंकिग के माध्यम से भुगतान हेतु ई–मित्र पोर्टल पर आवश्यक कॉलम की पूर्ति करने के उपरान्त वहां से प्राप्त टोकन संख्या को ऑनलाइन फार्म में भरें।

अभ्यर्थी यह ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन करने पर उन्हें आवेदन–पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा और यदि आवेदन–पत्र क्रमांक अंकित या प्राप्त नहीं होता है तो इसका अर्थ है कि उसका आवेदन–पत्र जमा नहीं हुआ है।

3. **प्रवेश पत्र** :– विभाग द्वारा समस्त ऑनलाइन आवेदकों को वेबसाइट के माध्यम से ही ऑन लाइन प्रवेश पत्र जारी किये जावेंगे। **डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जावेगा, सभी प्रवेश पत्र दिनांक 10.01.2015 तक वेबसाइट पर जारी कर दिये जावेंगे।** यह सूचना अधिकृत वेबसाइट www.jenexamphed.rajasthan.gov.in पर ही उपलब्ध रहेगी। आवेदक अपने टोकन नंम्बर, आवेदन पत्र क्रमांक, जन्मतिथि एवं मोबाईल नम्बर इत्यादि की सूचना का उपयोग कर अधिकृत वेबसाइट से प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकेंगे। इस संबंध में किसी अन्य जानकारी/समस्या के निराकरण के लिए विभाग के कन्ट्रोल रूम दूरभाष नं0 0141–2220420 पर सम्पर्क किया जा सकेगा।

4. **परीक्षा शुल्क** :–आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार परीक्षा शुल्क ई–मित्र कियोस्क/नागरिक सेवा केन्द्र (C.S.C.) पर/ऑनलाइन स्वयं के द्वारा जमा करायेंगे।

क) सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु **रूपये 1500/–** (अक्षरे रूपये पन्द्रह सौ मात्र)।

ख) राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक **हेतु रूपये 750/–** (अक्षरे रूपये सात सौ पच्चास मात्र)।

ग) समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक **हेतु रूपये 375/–** (अक्षरे रूपये तीन सौ पिच्चेतर मात्र)।

नोट :

I. ऑनलाइन आवेदन में आवेदक आवेदन पत्र का प्रारूप वेबसाइट www.jenexamphed.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर उसे ऑनलाइन भरने से पूर्व हाथ से भरलें, अन्तिम रूप से भेजने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों का प्रिन्टआंउट लेकर आश्वस्त हो लेवे कि सभी प्रविष्टियां सही–सही भरी गई है। यह प्रारूप ई–मित्र कियोस्क या नागरिक सेवा केन्द्र पर निःशुल्क उपलब्ध होगा।

II. आवेदकों की सुविधा के लिये राज्य के समस्त ई–मित्र कियोस्क तथा नागरिक सेवा केन्द्र (C.S.C.) की सूची वेबसाइट www.jenexamphed.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

III. राजस्थान राज्य से बाहर के अभ्यर्थी के लिए, जहॉ ई–मित्र तथा नागरिक सेवा केन्द्र (C.S.C.) उपलब्ध नहीं है, वे वेबसाइट www.jenexamphed.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध सूची के अनुसार उनसे व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर परीक्षा शुल्क जमा करा सकते हैं। सुविधा के लिये इन केन्द्रो के दूरभाष नम्बर भी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

5. कनिष्ठ अभियंता सिविल/यांत्रिक/विद्युत (डिग्रीधारी/डिप्लोमाधारी) सीधी भर्ती–2014 के वर्गवार आरक्षित/अनारक्षित पदों का विवरण :–

क. सं.	पदों का विवरण	कुल पदों की संख्या	अनारक्षित पदों की संख्या									आरक्षित पदों की संख्या																												Horizontal (क्षैतिज)		
				महिला			अनुसूचित क्षेत्र TSP					अनुसूचित जाति वर्ग									अनुसूचित जनजाति वर्ग									अन्य पिछड़ा वर्ग					विशेष पिछड़ा वर्ग							
								महिला				Non TSP Area					TSP Area				Non TSP Area					TSP Area					महिला					महिला						
													महिला					महिला				महिला					महिला														
			सामान्य	सामान्य	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य	विधवा	परित्यक्ता	बारां जिला के सहरिया अभ्यार्थी	सामान्य	सामान्य	विधवा	परित्यक्ता	बारां जिला के सहरिया अभ्यार्थी	सामान्य	सामान्य	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य	विधवा	परित्यक्ता	बारां जिला के सहरिया अभ्यार्थी	सामान्य	सामान्य	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य	विधवा	परित्यक्ता	बारां जिला के सहरिया अभ्यार्थी	सामान्य	सामान्य	विधवा	परित्यक्ता	बारां जिला के सहरिया अभ्यार्थी	विशेष योग्यजन	भूतपूर्व सैनिक	उत्कृष्ट खिलाड़ी
1	कनिष्ठ अभियंता (डिग्री) सिविल	**263**	59	18	6	1	7	3	—	—	2	28	9	3	—	—	1	—	—	—	12	3	1	—	1	7	2	—	—	38	11	4	1	—	2	—	—	—	—	8	31	5
2	कनिष्ठ अभियंता (डिप्लोमा) सिविल	**355**	99	29	11	2	10	3	1	—	3	31	9	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	9	3	—	—	54	16	6	1	—	3	—	—	—	—	11	42	7
3	कनिष्ठ अभियंता (डिग्री) यांत्रिक /विद्युत	**92**	24	7	2	—	3	—	—	—	1	8	3	—	—	—	—	—	—	—	5	2	—	—	—	3	—	—	—	14	4	1	—	—	—	—	—	—	—	3	11	1
4	कनिष्ठ अभियंता (डिप्लोमा) यांत्रिक /विद्युत	**114**	32	10	3	—	3	1	—	—	1	10	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	21	6	2	—	—	1	—	—	—	—	4	13	2
	योग :–	824	214	64	22	3	23	7	1	0	7	77	23	7	0	0	2	0	0	0	17	5	1	0	2	21	5	0	0	127	37	13	2	0	6	0	0	0	0	26	97	15

नोट :

5(1) उपरोक्त पदों में अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./वि.पि.व./विशेषयोग्यजन/टी.एस.पी./सहरिया/महिलाओं (विधवा एवं परित्यक्तता, महिलाओं सहित) के अभ्यर्थियों का नियमानुसार आरक्षण होगा। अधिसूचित क्षेत्रों में निवास करने वाले सहरिया/टी.एस.पी. वर्ग अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण देय होगा। राजस्थान की अन्य पिछडा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के अभ्यर्थियों को अ.पि.व/वि. पि.व. हेतु आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे आवेदक को सामान्य श्रेणी में माना जावेगा तथा ऐसी स्थिति में अन्य/विशेष पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के आवेदक सामान्य अभ्यर्थी के रूप में आवेदन कर सकते है। राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग/वि.पि.वर्ग (क्रीमीलेयर एवं नॉन क्रीमीलेयर) के आवेदक सामान्य अभ्यर्थी के रूप में आवेदन कर सकते है।

5(2) (i) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इनके आरक्षित पदों को सामान्य/पिछड़ा एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरा जावेगा।

(ii) राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जावेगा।

5(3) विज्ञापित रिक्तियों में महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से प्रवर्गानुसार (Categorywise) होगा। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस सम्बन्धित प्रवर्ग में जिसकी वे महिला अभ्यर्थी हैं, अनुपातिक रूप से समायोजन किया जावेगा।

स्पष्टीकरण :– किसी वर्ग (सामान्य/अ.जा./अ.ज.जा./टी.एस.पी./सहरिया/अ.पि.व.) की पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता (Father) के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमीलेयर का नवीनतम प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति (Husband) के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।

5(4) विशेष योग्यजन व्यक्तियों के लिए :–

(अ) राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदार) नियम, 2011 के अनुसार उपरोक्त दर्शायी गई (विज्ञापित किये जाने वाले पदों में) अक्षमताओं की प्रकृति वाले अभ्यर्थियों को निम्न प्रकार से अभिव्यक्त किया जाता है :–

(i) Locomotor disability and cerebral palsy (L.D. & C.P.)

O.A.-One arm affected (R or L)

(a) Impaired reach (b) weakness of grip (c) at axic

O.L. - One leg affected (R or L)

(a) Impaired reach (b) weakness of grip (c) at axic

B.L. - Both legs affected but not arms

(ii) H.H.- Hearing Handicapped

(ब) विशेष योग्यजन के लिए दर्शाये गये आरक्षित पदों का आरक्षण भी क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (अ.जा./अ.ज.जा./टी.एस.पी./सहरिया/अ.पि.जा./वि.पि.जा./सामान्य वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जावेगा। उपरोक्त दर्शाये गये विशेष योग्यजन के आरक्षित पदो के लिए पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में इन पदों को राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदार) नियम, 2011 के अनुसार भरा जावेगा। विशेष योग्यजन के उक्त नियम् के अनुसार उपरोक्त विशेष योग्यजन की अनुपलब्धता के कारण या अन्य किसी भी पर्याप्त कारण से पद भरा नहीं जा सकता हो वहां ऐसी रिक्ति को अग्रणीत किया जावेगा।

(स) विशेष योग्यजन आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र में यथा स्थान पर अपने वर्ग एवं निःशक्तता की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करें।

(द) ऐसे आवेदक जो निःशक्तता की श्रेणी में आते है, को अपनी निःशक्तता के सम्बन्ध में राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदार) नियम, 2011 के नियमानुसार सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का स्पष्ट प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। विशेष योग्यजन हेतु चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का प्रमाण–पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता होने पर ही आवेदक निःशक्त व्यक्तियों हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जायेगा।

5(5) उपर्युक्त विज्ञापित पदों में उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए दर्शाये गये आरक्षित पदों का आरक्षण दण्डवत (Horizontal) रूप से है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (अ.जा./अ.ज.जा./टी.एस.पी./सहरिया/अ.पि.जा./वि.पि.जा./सामान्य वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जावेगा। इस आरक्षित पद हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जावेगा और ऐसी रिक्ति को पश्चातवर्ती वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं किया जावेगा।

स्पष्टीकरण :– ''उत्कृष्ट खिलाड़ियों'' से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित है राज्य के ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति और भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त स्पोर्टस् और खेलों में या बैडमिंटन, टेनिस, शतरंज और क्रिकेट में उनसे सम्बन्धित राष्ट्रीय स्तर के संघ, फैडरेशन या बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों में सिविल सेवाओं के प्रत्येक वर्ग के लिए निम्नलिखित विवरणानुसार व्यक्तिशः या टीम के सदस्य के रूप में भाग लिया हो :–

एशियाई खेलों, एशियाई चैम्पियनशिपों, राष्ट्रमण्डल खेलों, विश्व चैम्पियनशिपों, विश्व के विश्वविद्यालय खेलों, विश्व स्कूल खेलों, दक्षेस खेलों, या ओलम्पिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया हो, जहां उसने (किसी व्यक्तिगत आईटम) में या उसकी टीम (टीम स्पर्धा में) में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त किया हो।

5(6) भूतपूर्व सैनिको के आरक्षित पदों हेतु आवेदन करने वाले आवेदक को आवेदन भरने की अंतिम दिनांक तक नियमानुसार सेना से सेवानिवृत हो जाना आवश्यक है, अन्यथा लाभ देय नही होगा। भूतपूर्व सैनिको के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिक का लाभ देय नही होगा।

6. **शैक्षणिक योग्यता** :–

क्र.सं.	पद	शैक्षणिक योग्यता
1	कनिष्ठ अभियंता (सिविल) डिग्रीधारी	1. भारत में विधि द्वारा संस्थापित किसी विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल अभियांत्रिकी में उपाधि। (Degree in Civil Engineering from a University established by law in India or from a recognised Institution) 2. देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।
2	कनिष्ठ अभियंता (सिविल) डिप्लोमाधारी	1. इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स द्वारा मान्यता प्राप्त सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा जो अध्ययनवृत्ति परीक्षा छूट के प्रयोजन के लिए हो। (Diploma in Civil Engineering recognised by the Institution of Engineers for purpose of exemption from Studentship examination) 2. देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।
3	कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिक /विद्युत) डिग्रीधारी	1. भारत में विधि द्वारा संस्थापित किसी विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्था से यांत्रिक/विद्युत अभियांत्रिकी में उपाधि। (Degree in Mechanical/Electrical Engineering from a University established by law in India or from a recognised Institution) 2. देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।
4	कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिक /विद्युत) डिप्लोमाधारी	1. इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स द्वारा मान्यता प्राप्त यांत्रिक/विद्युत अभियांत्रिकी में डिप्लोमा जो अध्ययनवृत्ति परीक्षा छूट के प्रयोजन के लिए हो। (Diploma in Mechanical/Electrical Engineering recognised by the Institution of Engineers for purpose of exemption from Studentship examination) 2. देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।

जो अभ्यार्थी आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त नही करते है, वे अभ्यार्थी आवेदन करने के पात्र नही होंगे।

7. **वेतनमान** ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्तव्यभार स्वीकार करता है, परिवीक्षा प्रशिक्षण की कालावधि (2 वर्ष) के दौरान, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर नियत दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा। परिवीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की तारीख से ही वेतनमान 9300–34800 (पीबी–2) ग्रेड पे 3600 (पद क्रम संख्या 1 से 4 के लिए) अनुज्ञात किया जायेगा, उच्चतर प्रारंभिक वेतन देय नहीं है।

8. **आयु**

दिनांक 01.01.2015 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो एवं **35 वर्ष** का नहीं हुआ हो। इसके साथ ही निम्न परन्तुक भी लागू होंगे :

(i) राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.09.08 के अनुसार :–

" यदि कोई अभ्यर्थी सीधी भर्ती के लिए, ऐसे किसी वर्ष में जिसमें ऐसी कोई भर्ती नही की गई थी, अपनी आयु के संबंध में हकदार था तो उसे ठीक आगामी भर्ती के लिए पात्र समझा जायेगा यदि वह 3 वर्ष से अधिक के द्वारा अधिकायु का/की नही हुआ/हुई है। "

स्पष्टीकरण पूर्व में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2008 में जन स्वा0 अभि0 विभाग हेतु कनिष्ठ अभियंता के पदों को विज्ञापित किये जाकर उनकी आयु सीमा की गणना 01.01.09 को की गई थी तत्पश्चात कनिष्ठ अभियंता

के पदों का कोई विज्ञापन जारी नही किया गया था। अतः उक्त प्रावधानानुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2015 को अधिकायु के होते है, उन्हे अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देय होगी।

(ii) क. राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग के पुरूष अभ्यार्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी,

ख. सामान्य वर्ग की महिला अभ्यार्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी और

ग. राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग के महिला अभ्यार्थियों के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी ।

(iii) सेवा में किसी पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त व्यक्तियों को, यदि वें प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे, आयु सीमा में ही समझा जायेगा, चाहे उन्होने नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष अन्तिम रूप से उपस्थित होने के समय उपरी आयु सीमा पार कर ली हो और यदि वें अपनी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हे दो अवसर तक दिये जायेंगे।

(iv) उपर्युक्त अधिकतम आयु सीमा उस भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नही होगी जो दोषसिद्धि के पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी (Substantive) तौर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था।

(v) अन्य भूतपूर्व कैदियों के मामले में, उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को, उसके द्वारा भुक्त कारावास की अवधि के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा बशर्ते कि वह दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु का नहीं था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था।

(vi) कैडेट अनुदेशकों के मामले में उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को उनके द्वारा राष्ट्रीय कैडेट कोर में की सेवा के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो ऐसे अभ्यर्थी को विहित आयु सीमा में समझा जायेगा।

(vii) राजस्थान राज्य के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में अधिष्ठायी (Substantive) तौर पर कार्य कर रहे व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

(viii) रिजर्विस्टो अर्थात रिजर्व में स्थानांतरित रक्षा कार्मिकों और भूतपूर्व सेना कार्मिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी।

(IX) निर्मुक्त अपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों और लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात आयु सीमा में ही समझा जायेगा चाहे उन्होने विभाग के समक्ष उपस्थित होने के समय आयु सीमा पार कर ली हो बशर्ते कि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे ।

(X) पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत व्यक्तियों की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

(XI) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या अधीनस्थ सेवा के पद पर कार्यरत कर्मचारियों को उपरी आयु में 10 वर्ष की छूट देय है।

(XII) राजस्थान निशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के अधीन विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए सेवा नियमों में विहित अधिकतम आयु सीमा को सुसंगत सेवा नियमों के अधीन पहले से विहित शिथिलीकरण को सम्मिलित करते हुए उपरोक्त वर्णित अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट देय होगी :—

1. अनारक्षित वर्ग (सामान्य वर्ग) के अभ्यार्थियों हेतु 10 वर्ष
2. पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग के अभ्यार्थियों हेतु 13 वर्ष
3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों हेतु 15 वर्ष

(XIII) विधवाओं और परित्यक्ता (विच्छिन विवाह) महिलाओं के मामले में कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं होगी.

स्पष्टीकरण :– विधवा के मामले में उसे अपने पति की मृत्य का प्रमाण–पत्र सक्षम प्राधिकारी का प्रस्तुत करना होगा और परित्यक्ता (विच्छिन विवाह) महिला के मामले में उसे विवाह विच्छेद का प्रमाण–पत्र (सक्षम न्यायालय द्वारा पारित डिक्री) प्रस्तुत करना होगा।

नोट :– उपरोक्त पैरा के प्रावधान (ii) से (XIII) पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है, अर्थात अभ्यार्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम् आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

9. प्रमाण–पत्र :–

(i) जाति प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर दिया होना चाहिए।

(ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/टी.एस.पी./सहरिया वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थी को भी उसके पिता के नाम से जारी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है, अन्यथा उसे इस वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम से जारी प्रमाण–पत्र मान्य नहीं है।

(iii) राजस्थान के सक्षम अधिकारियों द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, टी.एस.पी., सहरिया का प्रमाण–पत्र On line Application Form प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पूर्व का जारी होना चाहिए अन्यथा अंतिम दिनांक के बाद जारी हुए प्रमाण पत्रों के अभ्यर्थियो को वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नही होगा और ना हि इस संबंध किसी प्रार्थना पत्र पर विचार किया जायेगा।

(iv) राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग का नवीनतम प्रमाण–पत्र जो नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो। अर्थात् आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि से 6 माह पूर्व तक की अवधि में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी हुआ होना चाहिए, जिसमें क्रीमीलेयर/नॉन क्रीमीलेयर की प्रविष्टि स्पष्टतः अंकित होनी चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थी को नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।

(v) विशेष योग्यजन का सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र जिसमें विशेष योग्यजन की चिन्हित श्रेणी का अवश्य उल्लेख हो जो कि On line Application Form प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पूर्व का जारी होना चाहिए।

नोटः– प्रमाण–पत्र परीक्षा परिणाम जारी होने के उपरांत दस्तावेजों की वैधता की जांच करते समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

10. नियुक्ति हेतु निरर्हता

(i) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 1.6.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संताने हों, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु यह है कि :

- (क) दो से अधिक संतानो वाला व्यक्ति तब तक नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं समझा जायेगा जब तक उसकी संतानो की उस संख्या में, जो 1 जून, 2002 को है, बढोतरी नहीं होती है।
- (ख) जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से एक ही संतान है किन्तु पश्चातवर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संताने पैदा हो जाती है वहां संतानो की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानो को एक इकाई समझा जायेगा।
- (ग) किसी अभ्यर्थी की संतानो की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नही गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्तता से ग्रस्त हो।

(ii) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां है, सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि सरकार, इस बात का समाधान करने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है, इस नियम के प्रवर्तन से किसी भी अभ्यर्थी को छूट देय नहीं है।

(iii) कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसके पहले से ही कोई पत्नि है, सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगी जब तक कि सरकार इस बात का समाधान नहीं करलें। इस नियम के प्रवर्तन से उस महिला अभ्यर्थी को छूट देय नहीं है।

(iv) राजस्थान अधीनस्थ अभियांत्रिकी सेवा (जन स्वास्थ्य शाखा) नियम, 1967 एवं संशोधन 2013 के नियम 21 में वर्णानुसार नियोजन के लिए अपात्र व्यक्ति को नियोजित नहीं किया जायेगा।

(v) आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पर उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर ही उन्हें इस परीक्षा में सम्मिलित होने की प्रोविजनल रूप से अनुमति प्रदान की जावेगी। दस्तावेजों की वैधता की जांच परीक्षा परिणाम जारी होने के उपरान्त की जावेगी एवं इसमें किसी प्रकार की असत्यता/कमी/गलती पाये जाने पर आवेदक का चयन निरस्त कर दिया जावेगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आवेदक का होगा।

(vi) ऐसे किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जावेगा, यदि उसने अपने विवाह के समय या उसके पश्चात किसी भी समय कोई दहेज स्वीकार किया हो।

स्पष्टीकरण :– इस नियम के प्रयोजन के लिए दहेज का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेद अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रिय अधिनियम सं. 28) में दिया गया है।

(vii) राजस्थान लोक सेवा आयोग/राज्य सरकार द्वारा किसी भी परीक्षा में वंचित (Debar) किये गये ऐसे आवेदक जिनके वंचित (Debar) होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, उक्त पदों हेतु आवेदन नहीं कर सकते।

(viii) सभी आवेदक, चाहे वें पहले से सरकारी नौकरी में हो या सरकारी औधोगिक उपक्रमों में हो या इसी प्रकार के अन्य संगठनो में हो या गैर सरकारी संस्था में नियुक्त हो, को अपने नियोक्ता को इस परीक्षा के लिए आवेदन करने के पूर्व ही लिखित में सूचित कर परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिए। यदि नियोक्ता द्वारा विभाग को आवेदक द्वारा सूचना/अनुमति हेतु आवेदन नही किये जाने की अथवा आवेदक को परीक्षा में बैठने की अनुमति नही दिये जाने हेतु सूचित किया जाता है तो आवेदक की अभ्यर्थिता तुरन्त प्रभाव से किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है।

11. <u>पेन्शन</u> :–

दिनांक 1.1.2004 से नये भर्ती/नियुक्ति होने वाले राज्य कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

12. <u>विवाह पंजीयन</u> :–

शासन के परिपत्र कमांक प. 6(19)गृह–13/2006 दिनांक 22.5.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह का पंजियन कराना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र परीक्षा परिणाम जारी होने के उपरांत दस्तावेजों की वैधता की जांच करते समय प्रस्तुत करना होगा।

आवेदक को विवाहित होने की स्थिति में पति/पत्नि का नाम उल्लेखित करना तथा विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र या विवाह पंजीयन नही होने की स्थिति में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। (प्रारूप संलग्न)

13. <u>परीक्षा</u> :–

कनिष्ठ अभियंता – सिविल/यांत्रिक/विद्युत (डिग्रीधारी/डिप्लोमाधारी) की सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा–2014, **दिनांक 25.01.2015 (रविवार)** को एक पारी में जयपुर शहर में स्थित विभिन्न केन्द्रो पर प्रातः 10 से 12 बजे तक आयोजित की जायेगी।

परीक्षा बहुविकल्पात्मक (ऑब्जेक्टिव टाईप) प्रश्न पत्रों पर आधारित होगी। प्रत्येक पद हेतु परीक्षा के पूर्णांक 100 होंगे तथा परीक्षा अवधि 2 घण्टे की होगी। पूछे गये प्रश्नों के उत्तर काले बाल प्वाइंट पैन से निर्धारित ओ0एम0आर0 शीट में अभ्यर्थी द्वारा अंकित किये जायेंगे। उत्तरों के मूल्यांकन में ऋणात्मक अंकन लागू होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रश्न का 1/3 अंक काटा जावेगा। गलत उत्तर से असत्य उत्तर या बहुविकल्प उत्तर अभिप्रेत है। 40 प्रतिशत प्रश्न/अंक पार्ट–ए एवं 60 प्रतिशत प्रश्न/अंक पार्ट–बी में से होंगे।

डिग्री (सिविल/यांत्रिक/विद्युत) एवं डिप्लोमा (सिविल/यांत्रिक/विद्युत) के प्रश्न पत्र का पार्ट–ए हिन्दी व अंग्रेजी दोनो माध्यम में उपलब्ध करवाया जायेगा।

डिग्री (सिविल/यांत्रिक/विद्युत) के प्रश्न पत्र का पार्ट–बी अंग्रेजी माध्यम व डिप्लोमा (सिविल/यांत्रिक/विद्युत) के प्रश्न पत्र का पार्ट–बी हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनो माध्यम में उपलब्ध करवाया जायेगा।

14. कनिष्ठ अभियंता सिविल/यांत्रिक/विद्युत (डिग्रीधारी/डिप्लोमाधारी) की सीधी भर्ती प्रतीयोगी परीक्षा–2014 के लिए पाठ्यक्रम :–

Part –A : Common for Degree / Diploma holder (Civil/Mechanical/ Electrical)

i. General Mental Ability
ii. Mathematical Reasoning
iii. Rajasthan Culture : History, Geography, Economy & Administration
iv. MGNREGA
v. English & Hindi Comprehension
vi. Basic Knowledge of Computer Application
vii. Current Affairs

Part –B :

i. Degree holder (Civil/Mechanical/Electrical)

The Syllabus followed by R.T.U. Kota Rajasthan in respective discipline. **(Link of Website : www.rtu.ac.in/rtu/b-tech-2012-13/)**

ii. Diploma holder (Civil/Mechanical/Electrical)

The Syllabus followed by Board of Technical Education Govt. of Rajasthan in respective discipline.

(Link of Website : techedu.rajasthan.gov.in/BTER/Diploma_Programmes.htm).

15. चयन का आधार :–

कनिष्ठ अभियंता–सिविल एवं यांत्रिक/विद्युत (डिग्री/डिप्लोमा) की आयोजित प्रतियोगी परीक्षा की वरीयता अलग–अलग होगी तथा प्राप्तांकों के आधार पर वर्गवार वरीयता के कम में चयन किया जावेगा।

यांत्रिक एवं विद्युत अभियांत्रिकी अभ्यार्थियों के प्रश्न–पत्र पृथक–पृथक होने के बावजूद संयुक्त मैरिट अनुसार चयन किया जावेगा।

समान वरीयता (Merit) प्राप्त करने वाले अर्थात् दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान प्राप्तांक होने पर इन अभ्यर्थियों में अधिक आयु वाले को उच्च वरीयता कम प्रदान किया जावेगा। जन्मतिथि तथा प्राप्तांक समान होने पर अभ्यर्थियों की उच्च शैक्षणिक योग्यता के क्रम में वरीयता निर्धारण की जावेगी। उच्च शैक्षणिक योग्यता एवं जन्मतिथि समान होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में

प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर वरीयता निर्धारित की जावेगी। उपरोक्त समस्त परिस्थितियां समान होने पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण किये गये वर्ष के आधार पर वरीयता निर्धारित की जावेगी।

16. **आवेदन कैसे करें :–**

(i) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व निम्नानुसार तैयारी रखें :–

(अ) आवेदक अपनी पासपोर्ट साईज की नवीनतम एवं रंगीन फोटो जे.पी.ई.जी. (अधिकतम 100 के.बी.) की स्केन करें।

(ब) स्केन की गई नई फोटो जे.पी.ई.जी. को अपलोड करें।

(स) आवेदक अपने हस्ताक्षर एवं बांये हाथ के अंगूठे के निशान (अधिकतम 100 के.बी.) स्केन कर अपलोड करें।

17. **कृपया ध्यान देवें :–**

1. विभाग द्वारा परीक्षा हेतु किसी भी प्रकार की गाइड बुक आदि का अनुमोदन नहीं किया गया है।
2. सामान्यतया सभी परीक्षार्थियों को उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने होंगे, केवल राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 में वर्णित ऐसे विशेष योग्यजन जो स्वयं अपने हाथ से प्रश्नों के उत्तर लिखने में असमर्थ है, उन्हे विभाग को परीक्षा दिनांक से 15 दिन पूर्व तक प्रार्थना पत्र वांछित प्रमाण–पत्र सहित प्रस्तुत करने पर विभाग द्वारा श्रुत लेखक की सुविधा देय होगी परन्तु अचानक दुर्घटनावश लेखन कार्य से अस्थाई रूप से असमर्थ हुए अभ्यर्थियों को यह सुविधा देय नही होगी।
3. अनुचित साधनों की रोकथाम : परिक्षार्थियों को विभाग/केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/परीक्षा नियंत्रक द्वारा नियुक्ति अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना होगा। ऐसा ना करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने पर एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने पर परिक्षार्थी के विरूद्ध विभाग/केन्द्राधीक्षक/परीक्षा नियंत्रक जो भी उचित समझें, कार्यवाही कर सकता है तथा ऐसे परिक्षार्थियों के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 1992 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है।
4. परीक्षार्थी परीक्षा के प्रश्न पत्र में रही किसी भी त्रुटी अथवा किसी प्रकार की शिकायत के सम्बन्ध में परीक्षा समाप्ति के पश्चात् 72 घण्टों (3 दिवस) के भीतर अपना लिखित अभ्यावेदन/शिकायत स्पीड पोस्ट के माध्यम से विभाग को प्रस्तुत कर दे। नियत समय पर प्राप्त होने वाले अभ्यावेदन/शिकायत पर विभाग द्वारा यथोचित कार्यवाही की जावेगी। तीन दिवस के पश्चात् प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों पर विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा।
5. कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा परिसर में मोबाईल फोन, केलक्यूलेटर, इलेक्ट्रोनिक गजेट्स एवं पर्स इत्यादि लेकर नहीं आयेंगे। परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा उपयोग के लिए आवश्यक जैसे पेन, पेंसिल, प्रवेश पत्र या निर्देशित सामग्री ही कक्ष में ले जा सकता है। यदि परीक्षार्थी परीक्षा परिसर में मोबाईल फोन, केलक्यूलेटर, इलेक्ट्रोनिक गजेट्स एवं पर्स इत्यादि अनावश्यक वस्तुएं साथ लाता है, तो उन्हें जब्त कर लिया जायेगा व इन अनुदेशो का उल्लंघन किये जाने पर संबंधित परीक्षार्थी के खिलाफ भविष्य में होने वाली परिक्षाओं में बैठने पर रोक सहित वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
6. इस सीधी भर्ती हेतु निर्धारित प्रतियोगी परीक्षा की सम्पूर्ण जानकारी वेबसाइट www.jenexamphed.rajasthan.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

(अखिल कुमार जैन)
मुख्य अभियन्ता (प्रशासन)
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
राजस्थान जयपुर

प्रपत्र–6

–: शपथ पत्र :–

मैं ....पुत्र/पुत्र श्री/श्रीमती...निवासी .... शपथपूर्वक बयान करता हूं/करती हूं कि मेरा विवाह श्रीमती/श्री.................. ....निवासी...के साथ सम्पन्न हुआ था, परन्तु अनिवार्य विवाह पंजीयन लागू होने से पूर्व दिनांक .... को सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं है।

या

मेरा विवाह श्रीमती/श्री..निवासी..के साथ दिनांक....... .... को राजस्थान राज्य के बाहर सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं हुआ है।

या

मैं.. अविवाहित हूं।

या

मैं.................................. विधुर/विधवा हूं (पत्नि/पति श्री/श्रीमती..............................)।

या

मैं तलाकशुदा हूं (प्रमाण–पत्र संलग्न है।

या

मैं परित्यक्ता हूं एवं मेरा विवाह श्री .... के साथ दिनांक ....को सम्पन्न हुआ था।

हस्ताक्षर शपथ कर्ता